s.new formet of 12 meter below

आविप्रा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के मानचित्र स्वीकृत–पत्र)

मैप नं0–20191026160546900 **दिनांक :–** 26/08/2020

श्री अशोक कुमार गोयल
निवासी–2/27, सेठ गली,
आगरा।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक **08.11.19** के सन्दर्भ में आपके **ले–आउट** की मौहल्ला/कालोनी **प्लाट संख्या, खसरा संख्या–06 मिनजुमला, मौजा जगनपुर, आगरा, पर** निम्नलिखित शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1. निर्माण सामिग्री को निर्धारित स्थलों पर ढक कर रखा जाय तथा समुचित प्रकार से पानी का छिड़काव किया जाय।
2. नियमानुसार रेरा में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
3. निर्माण समिग्री को लान व ले जाने वाले वहनों के टायर/बॉडी की भली–भाँति धुलाई की जाय तथा निर्माण सामग्री को ढक कर ले जाया जाय।
4. निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से जनित अपशिष्ट को निर्धारित स्थल तक ढक कर ले जाया जाय तथा सडकों के किनारे अनयंत्रित रूप से एकत्रित न किया जाय।
5. निर्माण एवं ध्वस्तीकरण से जनित अपशिष्ट को पुनः प्रयोग किये जाने हेतु स्थल निर्धारित करते हुए प्लान्ट स्थापित किया जाये।
6. पेड़ों से झड़ने वाली पत्तियों व उद्यानों से जनित अपशिष्ट को जलाया न जाय अपतु निर्धारित स्थलों पर कम्पोस्ट पिट बनाकर निस्तारित किया जाय।
7. प्राधिकरण स्तर द्वारा उक्त निर्देशों के उल्लंघन पर व्यक्तियों/संस्थाओं के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।
8. भू–स्वामित्व सम्बन्धी वाद–विवाद होने की स्थिति में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
9. पक्ष द्वारा रोड वाइडनिंग हेतु स्वेच्छा से छोड़ी गयी भूमि के लिए प्राधिकरण से कोई मुआवजे की मांग नहीं करेगा। इस आशय का एक शपथ पत्र भी पक्ष को प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा तथा सड़क का विकास भी स्वयं के संसाधनों से करना होगा।
10. आवेदक को रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से भू–जल की रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना करनी होगी।
11. प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।
12. निर्माण कार्य भवन उपविधि में निर्धारित योग्यता रखने वाले दक्ष अभियन्ता तथा वास्तुविद की देखरेख में कराना होगा ताकि भवन की संरचनात्मक सुरक्षा तथा भूकम्परोधी व्यवस्था उनके द्वारा सुनिश्चित की जाये।
13. निर्माण सामग्री अथवा मलबा को मैटल्ड रोड पर स्टोर नहीं किया जायेगा। मैटल्ड रोड से अलग निर्माण सामग्री को एकत्रित करने हेतु स्थल का चिंहाकन करना होगा।
14. पर्यावरण एव वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन–2010 के अनुसार आवेदक/भवन स्वामी निर्माण स्थल, सड़क गली व कालोनी में स्थित निर्माण सामग्री को ढ़क कर रखवांयेगा तथा भवन निर्माण सामग्री का भण्डारण ऐसे स्थान पर किया जाये कि वह उड़कर हवा में न फेले। आवेदक को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी गाईलाइन–2010 में निहित समस्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

15. ऐसे कर्मचारी जो स्थल पर निर्माण कार्य कर रहे हैं अथवा निर्माण सामग्री को चढ़ाने व उतारने का कार्य करते हैं, विकासकर्ता द्वारा उन्हें मास्क उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि डस्ट उनके स्वास्थ्य में न जायें तथा ऐसे कर्मचारियों के चिकित्सा सुविधा व आवश्यक जाँच व उपचार की उचित व्यवस्था किया जाना होगा।
16. पत्थर काटने व ग्राइण्डिंग का कार्य करते समय पर्यावरण में डस्ट पार्टिकल न उड़कर जायें, उसकी उचित व्यवस्था आवेदक द्वारा सुनिश्चित करवायी जायेगी तथा निर्माण स्थल पर हवा को रोकने के लिए दीवार आदि भी बनाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। आवयक्तानुसार वृक्षारोपण किया जायेगा।
17. भविष्य में यदि किसी विभाग की देयता बनती है तो पक्ष को देय होगी।
18. स्थल पर मानचित्र स्वीकृत से सम्बन्धित विवरण अंकित कर बोर्ड लगाना होगा।
19. आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने हेतु नियमानुसार प्राधिकरण के साथ अनुबन्ध निष्पादित करना होगा ।
20. शासनादेश संख्या–1811/8–3–14–211 विविध/13 दिनांक 17.11.2014 के प्राविधानों के अनुसार 20: भूमि आन्तरिक विकास के सापेक्ष बंधक रखनी होगी।
21. नियत अवधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कर नगर निगम/रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तान्तरित करनी होगी।
22. पर्यावरण स्वीकृति की अपेक्षा वाली कोई भी भवन अथवा अवसंरचना परियोजना धूल उपशमन उपायों सहित अनुमोदित पर्यावरणीय प्रंबधन योजना के बिना कार्यन्वित नहीं की जायेगी।
23. निर्माण स्थलों पर या वहां तक जाने वाली सड़कें खड़जा और ब्लैकटॉप्ड (अर्थात मैटेलिक सड़के) होनी चाहिये।
24. पर्याप्त धूल उपशमन उपायों के बिना मिट्टी की खुदाई नहीं की जायेगी।
25. कोई भी मिट्टी या रेत या निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट या धूल वाली कोई अन्य निर्माण समाग्री बिना ढके नहीं छोड़ी जायेगी।
26. समुचित ऊंचाई अर्थात भवन की ऊंचाई की 1/3 और अधिकतम 10 मीटर तक के विंड–ब्रेकर की व्यवस्था की जायेगी।
27. निर्माण स्थल पर जनता को आसानी से दिखाई देने के लिए धूल उपशमन उपायों का स्पष्ट तौर पर प्रदर्शन किया जायेगा।
28. मानचित्र की इस स्वीकृति सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे–नगर निगम, ए0डी0ए0) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।
29. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
30. नियमानुसार रेरा में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
31. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी, उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
32. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।

s.new formet of 12 meter below

33. सड़क, सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) नहीं रखी जायगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।

34. स्वीकृत मानचित्रों का एक सेट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके।

35. यह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो शर्त भी मान्य होगी।

36. सड़क पर अथवा बैक लेन में कोई रैम्प नहीं बनाये जायेंगे। रैम्प अपनी ही भूमि पर बनाया जायेगा।

37. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी, उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

38. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 21.03.2020 का पालन करना होगा।

39. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।

40. निर्माण का स्ट्रक्चरल सेफ्टी, गुणवत्ता, वर्क मैनशिप एवं निर्माण के समय सुरक्षा आदि का समस्त उत्तरदायित्व भू–स्वामी/निर्माणकर्ता का होगा।

41. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गई है, निरस्त की जा सकती है।

42. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आंकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हों, चाहें भले ही ऐसे प्रक्षेप में भूल से इन नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।

43. ऐसे निर्माण कार्यों के लिए नगर महापालिका अधिनियम की धारा–293 के अधीन पृथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।

44. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि व सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें, जहाँ पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार उ0प्र0विद्युत परिषद् द्वारा न हटा दिये जायें।

45. भवन निर्माण उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–15(3) के अन्तर्गत इस प्रतिबंध सहित स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि विषयक भू–स्वामित्व के लिए विधितः बाध्य नहीं है।

46. थल पर कराये जाने वाले निर्माण कार्य ऐसे श्रमिकों के माध्यम से कराया जायेगा जिनका पंजीयन श्रम विभाग से अवश्य हो।

47. निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले मजदूरों के फोकल स्लज को सुरक्षित निस्तारण हेतु स्थल पर शौचालय/मोबाईल शौचालय की व्यवस्था करनी होगी।

s.new formet of 12 meter below

3. भवन का प्लिन्थ लेबिल तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर भवन/स्वामी निर्माणकर्ता स्थल के जी0पी0एस0 कोर्डिनेट तिथि एवं समय के साथ डिजीटल फोटोग्राफ आगरा विकास प्राधिकरण को अपलोड़ कर प्रस्तुत करेंगे, जिसके साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि मौके पर फोटोग्राफ्स के अनुसार ही निर्माण किया गया है। यदि यह पाया जाता है कि भवन स्वामी/निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तर– 3.1.1 के अन्तर्गत अनुज्ञा से छूट से इतर निर्माण कराया गया है तो आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा सील किए जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और उसके लिए वह किसी कार्य की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करेगा।

संलग्नक : एक सेट स्वीकृत मानचित्र।

26/9/2020

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

प्रतिलिपि :

प्रवर्तन खण्ड, आ0वि0प्रा0, आगरा को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड़ आगरा नहर
आगरा

पत्रांक–1122 /लोअर/एन0ओ0सी0 दिनांकः–19/03/2020

विषयः–गाटा संख्या 06 (पी0) मौजा जगनपुर तहसील सदर जनपद आगरा के ऑन लाइन मानचित्र की स्वीकृति हेतु एन0ओ0सी0 जारी करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः–आपका पत्रांक–20191026160546900/दिनांक–26.12.2019

<u>नगर नियोजक, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।</u>

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा गाटा संख्या–06 (पी0) मौजा जगनपुर तहसील सदर जनपद आगरा के ऑन लाइन मानचित्र की स्वीकृति हेतु एन0ओ0सी0 जारी करने का अनुरोध किया है। इस खण्ड़ के सहायक अभियन्ता–प्रथम की आख्यानुसार गाटा न0 6 (पी0) मौजा जगनपुर तहसील व जिला आगरा का मुस्तकिल नम्बर है। जो कि सिंचाई विभाग लोअर खण्ड़ आगरा नहर, आगरा का नम्बर नही है संलग्न नकल खतौनी के अनुसार सरकारी सम्पत्ति नही है। राजस्व अभिलेख नकल खतौनी के अनुसार पूरे गााटा नम्बर 06 का रकबा 8.0410 है0 है। जिसमें पूर्व भाग रकबा 1.4352 है0 भूमि श्री अशोक कुमार गोयल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र गोयल निवासी 2/27 सेठ गली आगरा का है। यमुना नदी (पश्चिमी) की तरफ का भाग श्री वीरेन्द्र अग्रवाल, भारत इन्जन फार्म हाउस का है। इसी भाग में मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार लगाये गये पिलर आर0यू0एम0–3 तथा हाइड्रोलॉजी सैटेलाइट पिलर न0 601 स्थापित है। इस सम्बन्ध में दिनांक 19.02.2020 को अवर अभियन्ता–आगरा एवं सींचपर्यवेक्षक द्वारा स्थालीय निरीक्षण एवं सर्वे किया गया, मौके के अनुसार श्री अशोक कुमार गोयल के प्लॉट की स्थिति निम्नानुसार हैं–

1. यमुना नदी से अशोक कुमार के प्लॉट की पश्चिमी भुजा की दूरी लगभग 320.00 मीटर है।
2. आर0यू0एम0 3 से प्लॉट की दूरी 250 मीटर है तथा पिलर न0 601 से प्लॉट की दूरी 205 मीटर है। जहॉं से प्लॉट प्रारम्भ होता है।
3. आर0यू0एम0 3 पिलर का लेवल 153.400 है तथा अशोक कुमार गोयल के प्लॉट का लेवल 156.640 है। अशोक कुमार गोयल के प्लॉट के पास सडक का लेवल 155.95 है। स्थानीय लेवलो के अनुसार उक्त प्लॉट का लेवल डूब क्षेत्र के अन्तर्गत नही आता है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड़ आगरा नहर
आगरा

<u>पत्रांक– /लोअर/तदिनांकः–</u>

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता–प्रथम, लोअर खंण्ड़ आगरा नहर, आगरा को उनके पत्रांक–334/स0अ0प्रथम/दिनांक–17.03.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

अधिशासी अभियन्ता
लोअर खण्ड़ आगरा नहर
आगरा

कार्यालय, नगर निगम, आगरा।

संख्या- 1972/D/PS/2020 दिनांकः- 28-02-2020

सेवा में,

नगर नियोजक,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

विषयः- **खसरा संख्या-6(भाग), मौजा जगनपुर, आगरा पर प्रस्तुत ऑनलाईन मानचित्र की स्वीकृति हेतु एन0ओ0सी0 जारी करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय पत्रांक मैप संख्या-20191026160546900 दिनांक 26.12.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा श्री अशोक कुमार गोयल निवासी-सी-64, कमलानगर, आगरा द्वारा प्रस्तुत ले-आउट की स्वीकृति हेतु एन0ओ0सी0 भिजवाने की अपेक्षा की गयी है, के संदर्भ में अवगत कराना है कि संलग्न ले-आउट प्लान में दर्शायी गयी भूमि खसरा संख्या-6(भाग), मौजा जगनपुर, आगरा में नगर निगम, आगरा की तालाब/पोखर/जलाशय आदि की कोई भूमि सम्मिलित नहीं है।

संलग्नक-मानचित्र की प्रति

भवदीय

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम,आगरा

प्रतिलिपिः- श्री अशोक कुमार गोयल निवासी-सी-64, कमलानगर, आगरा को सूचनार्थ।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम,आगरा

(105)

प्रेषक,

सचिव प्रबन्धक,
जलकल विभाग, आगरा।

सेवा में,

नगर नियोजक,
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

पत्राँकः-D-74 /स0प्र0/ज0क0वि0/एन.ओ.सी./19-20 दिनाँकः-08/03/2020

विषयः- **अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0-20191026160546900 दिनाँक 26.12.2019 का सन्दर्भ लें।

श्री अशोक कुमार गोयल निवासी-सी-64, कमला नगर, आगरा द्वारा खसरा सं0-6 (भाग-1) मौजा जगनपुर, आगरा पर प्रस्तुत **ऑनलाइन मानचित्र** हेतु एन. ओ. सी प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिये प्रेषित किये गये प्रस्ताव के क्रम में **जो नगर निगम सीमा के अन्दर है,** आगरा जल संस्थान द्वारा निम्न प्रतिबन्धों के साथ आपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है -

1. सम्बन्धित क्षेत्र में आगरा जलकल विभाग की वर्तमान में जलापूर्ति की व्यवस्था न होने के कारण भविष्य में उक्त क्षेत्र में जलापूर्ति के लिये पाइप लाइन आदि बिछाये जाने व पानी की आवश्यक व्यवस्था के कार्यो हेतु आवश्यक विकास शुल्क/आनुपातिक व्यय आगरा जलकल, आगरा में जमा कराया जायेगा जो उक्त भू-स्वामी द्वारा देय होगा।
2. अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल प्रस्तावित भुमि पर केवल **ऑनलाइन मानचित्र** निर्माण के लिये ही निर्गत किया जा रहा है। इस कार्य के अतिरिक्त यदि भूमि अन्य प्रयोजन में ली जाती है तो पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
3. प्रस्तावित भूखण्डीय बिकास हेतु आवश्यक जलापूर्ति एंव ड्रेनेज निस्तारण हेतु जलकल विभाग द्वारा कोई व्यवस्था/सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी एंव यह व्यवस्था मानचित्र प्रस्तोता को स्वंय अपने व्यय व स्तर पर निर्धारित मानकों के अनुरूप करनी पडेगी जिसके संचालन एंव रख-रखाव का दायित्व भी उसी का होगा।
4. सम्वन्धित क्षेत्र में यदि भविष्य में पाइप लाइन डाली जाती है तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति एंव सीवर संयोजन हेतु निर्धारित देयों का जलकल विभाग को भुगतान करने पर ही दिया जा सकेगा।
5. सम्बन्धित क्षेत्र में पाइप लाइन न होने के कारण भविष्य में पाइप लाइन डाली जाती है तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति एंव जल संयोजन हेतु निर्धारित देयों का जलकल विभाग को भुगतान करने पर ही दिया जा सकेगा।
6. सम्बन्धित क्षेत्र हेतु जलापूर्ति एंव सीवर व्यवस्था हेतु किये जाने पर होने वाले व्यय से सम्बन्धित विकास शुल्क/आनुपातिक व्यय का भुगतान करना होगा।

क्रमशः...2

7. प्रस्तुत **ऑनलाईन मानचित्र** में आन्तरिक जलापूर्ति व्यवस्था के लिये मानचित्र प्रस्तुतकर्ता को जल स्त्रोत एवं जल वितरण प्रणाली मानकों के अनुरूप तैयार करनी होगी तथा आंतरिक सीवर व्यवस्था के लिये सीवर लाइनों एवं सीवर निस्तारण की व्यवस्था भी मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करनी होगी।

   1. वर्तमान में सीवर लाईन की क्षमता।- **इस क्षेत्र में सीवर की व्यवस्था नहीं है।**
   2. वर्तमान में जनसंख्या धनत्व। - **सामान्य हैं।**
   3. क्या वर्तमान जनसंख्या धनत्व के लिये वर्तमान सीवर लाईन की क्षमता पर्याप्त नहीं है ?- **सीवर व्यवस्था हेतु मानचित्र प्रस्तुतकर्ता को वैज्ञानिक विधि से सीवर निस्तारण करना होगा, ताकि भूमिगत जल श्रोत प्रदूषित न हो सके।**
   4. यदि उक्त बिन्दु 3 का उत्तर सकारात्मक है तो प्रस्तावित निर्माण से जनसंख्या धनत्व में वृद्वि। **- बिन्दु 3 के अनुसार**
   5. प्रस्तावित निर्माण के फलस्वरूप क्या वर्तमान सीवर लाईन की क्षमता पर्याप्त होगी ?- **बिन्दु 3 के अनुसार**
   6. क्या वर्तमान निर्माण में उत्सृजित सीवर को सीवर लाईन से जोडा जा सकता है ?- **बिन्दु 3 के अनुसार**
   7. क्या सीवर ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट की आवश्यकता है ?
   8. अन्य कोई शर्ते, अति आवश्यक हों।

भवदीय,

सचिव प्रबन्धक,
जलकल विभाग, आगरा

D-74/प्र.प्र./2020
06/03/2020

पृ.सं. एवं दिनॉकः- /तदैव/

प्रतिलिपिः- D-74-06/03/2020

1. महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, आगरा को सादर सूचनार्थ।
2. श्री अशोक कुमार गोयल निवासी-सी-64, कमला नगर, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव प्रबन्धक

(102)

TPL-AGRA/ZONE 2/ADA-NOC/COMMERCE/FY19-20/2421 Date: 02.03.2020

To

Nagar Neyojak

Agra Development Authority

Agra

Sir,

Sub : Issuance of NOC for construction as per submitted map.

This has reference to your letter no. **20191026160546900** received by Torrent Power Ltd. on 19/02/2020 along with annexed map **Khasra no. 06(P) Mauja Jaganpur, District - Agra,** owned by **Shri Ashok Kumar Goyal** residence at-**C-64,Kamla Nagar,Agra.** In regard to the aforesaid request, we have observed following during the site visit.

1) No HT/LT line passing through the plot as per the map/location shown to our representative.
2) No HT/LT line passing parallel to the plot as per the map/location shown to our representative.

It may please be noted that NOC has been accorded with a condition, that the existing service (if any) in the premises should be permanently removed along with clearing of pending dues (if any) and a temporary connection should be acquired before initiation of any construction activity.

Applicant is requested to maintain required safety clearance during construction.

In addition to above, any construction of permanent or temporary nature, the developer shall have to maintain clearance of the electric lines as per the provisions of The Indian Electricity Rules 1956. The details of which are as under:

Sr. No	Voltage level of electric line	Vertical clearance to be maintained	Horizontal clearance to be maintained
1	Low Voltage Line (230 Volts / 440 Volts)	2500 mm	1200 mm
2	11000 Volts Line	3700 mm	1200 mm
3	33000 Volts Line	3700 mm	2000 mm
4	132000 Volts Line	4600 mm	2900 mm
5	220000 Volts Line	5200 mm	3500 mm

TORRENT POWER LIMITED
CIN : L31200GJ2004PLC044068
6, Raghunath Nagar, Suresh Plaza Market, Opp. Sanjay Place, M.G. Road, Agra, Uttar Pradesh - 282002.
Reg. office-"Samanvay", 600 Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad-380015 India. Website www.torrentpower.com

torrent POWER

Moreover, the developer / builder shall ensure to provide sufficient space for electrical substation, electric meters, and other service apparatus in the proposed constructions and the plans / drawings are to be approved accordingly.

Provisions shall be made for the following as per the provisions of Electricity Supply Code of Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission.

1) A space for electric substation to house distribution transformers and other HT/LT switchgears of minimum size of 7000 mm x 4000 mm is to be provided by the developer / builder, if the existing low voltage electricity distribution network is not sufficient to cater to the demand of new constructions.

2) A space for electric substation to house distribution transformers and other HT/LT switchgears of minimum size of 7000 mm x 4000 mm shall be provided by the developer / builder, if the land piece under reference shall be used for multi-storied building of height 15 meter and above.

3) If applicable the space shall be provided as shown on drawing in such a way that the electric substation remains approachable by motor vans with minimum 3 meters width from the public road to electrical substation.

4) The developer / builder shall provide space for electric meter and other service apparatus at the ground floor level. Exact space requirement shall be based on the number and type of connections.

5) If any outstanding energy dues are found to be pending in future on attached annexed map, developer / builder / applicant shall be responsible for payment of dues.

This "No Objection Certificate" is issued for construction at the premise on 2th day of March, 2020 on the request of Agra Development Authority and is subjected to the compliance of the above provisions. The attested copy of the plan is attached herewith.

Thanking you,

Yours sincerely,

For Torrent Power Limited

For

Manager (Commerce)
Zone 2

Encl: As above

TPL-AGRA/ZONE 2/ADA-NOC/COMMERCE/FY19-20/2421

TORRENT POWER LIMITED
CIN : L31200GJ2004PLC044068
6, Raghunath Nagar, Suresh Plaza Market, Opp. Sanjay Place, M.G. Road, Agra, Uttar Pradesh - 282002.
Reg. office-"Samanvay", 600 Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad-380015 India. Website www.torrentpower.com

(97)

कार्यालय तहसीलदार (सदर) आगरा।

संख्या 73 / रा०लि०

दिनांक - 29/2/2020

विषयः— खसरा संख्या—06पार्ट मौजा जगनपुर आगरा पर प्रस्तुत ऑनलाईन मानचित्र की स्वीकृति हेतु एन0ओ0सी0 के सम्बन्ध में।

नगर नियोजक

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा।

उपरोक्त विषयक मैप नं0—20191026160546900 दिनांक 26/12/2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा प्रार्थी अशोक कुमार गोयल निवासी सी—64 कमला नगर द्वारा मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित बिन्दुओ पर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण की जॉच लेखपाल/राजस्व निरीक्षक के माध्यम से कराई गई। जिसकी आख्या मूलरूप में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक यथोक्त।

तहसीलदार (सदर),

आगरा।